

पेरियासामी और अन्य

बनाम

एस. नल्लासामी

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 456)

14 मार्च, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड और हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 319 – अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति – धारा 319 के तहत आवेदन, आवेदन में नामित अभियुक्तों को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में तलब करने हेतु – दंडाधिकारी द्वारा अस्वीकृत, हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया – अपील पर, निर्णय: धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को तभी तलब किया जा सकता है जब प्रथम दृष्टया मामले से अधिक सबूत हों, जैसा कि आरोप तय करते समय आवश्यक होता है, लेकिन जो अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए मुकदमे के समापन के समय आवश्यक संतुष्टि से कम हो- तथ्यों के आधार पर, प्राथमिकी या धारा 161 के तहत दर्ज बयानों में अपीलकर्ताओं के नाम या कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है जिससे उनकी पहचान हो सके – प्राथमिकी में आरोप अस्पष्ट हैं – धारा 147, 448, 294(बी) और 506 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए कोई ठोस या पुख्ता सबूत नहीं है – ठोस और पुख्ता सबूतों के अभाव में धारा 319 के तहत अतिरिक्त आरोपी को अनजाने और लापरवाही से तलब नहीं किया जा सकता है – इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने केवल कुछ गवाहों के बयानों के आधार पर दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने में गलती की है शिकायतकर्ता द्वारा जांचे गए गवाहों के बयानों के आधार पर – उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय का आदेश बहाल किया जाता है।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 यह मामला मूलतः वैवाहिक विवाद है, जिसमें शिकायतकर्ता पति ने पत्नी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर आरोप लगाए हैं। यद्यपि प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि 15 महिलाएं और 35 पुरुष वाहनों से आए थे, लेकिन प्राथमिकी में केवल 11 व्यक्तियों के नाम ही बताए गए हैं। [कंडिका 12][1012-ए-बी]

1.2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों में, जांच के दौरान, शिकायतकर्ता और उसके साक्षियों ने प्राथमिकी में नामित 11 व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं बताया है। इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने धारा 319 के तहत आवेदन करते समय कई अन्य व्यक्तियों को शामिल करने के लिए व्यापक जाल बिछाने का प्रयास किया है, जबकि उनके घर में घुसपैठ या शिकायतकर्ता को धमकाने में उनकी भूमिका के बारे में कोई प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। बड़ी संख्या में लोग शिकायतकर्ता के घर नहीं आएंगे और बिना कोई चोट पहुंचाए वापस लौट जाएंगे क्योंकि उनके पास लोहे की छड़, चाकू और चीर आदि जैसे हथियार थे। [कंडिका 13][1012-सी-डी]

1.3 प्राथमिकी या संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों में, अपीलकर्ताओं के नाम या कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है जिससे उनकी पहचान की जा सके। प्राथमिकी में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिकी में ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए कोई विवरण नहीं है। अतिरिक्त आरोपियों के गांवों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ताओं को धारा 147, 448, 294(बी) और 506 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कराने के लिए कोई ठोस या पुख्ता सबूत नहीं है। अतिरिक्त आरोपी को संहिता की धारा 319 के तहत लापरवाही से याचना नहीं की जा सकती, जब तक कि पर्याप्त और ठोस साक्ष्य उपलब्ध न हों। संहिता की धारा 319 के तहत अतिरिक्त आरोपी को तभी बुलाया जा सकता है जब प्रथम दृष्टया मामले से अधिक सबूत हों, जैसा कि आरोप तय करते समय आवश्यक होता है, लेकिन जो मुकदमे के समापन के समय आवश्यक संतुष्टि से कम हो, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। [कंडिका 14][1012-ई-जी]

1.4 उच्च न्यायालय ने दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश को केवल शिकायतकर्ता द्वारा जांचे गए कुछ साक्षियों के बयानों के आधार पर अपास्त कर दिया। अपीलकर्ताओं के नाम मात्र प्रकट करना उन्हें संहिता की धारा 319 के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना

कराने हेतु ठोस और पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जब शिकायतकर्ता पति है और उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की है और उनके नाम या अन्य पहचान का खुलासा पहले अवसर पर नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय का आदेश बहाल किया जाता है और संहिता की धारा 319 के तहत दायर आवेदन खारिज किया जाता है। [कंडिका 15, 16][1012-जी, एच; 1013-ए, बी]

हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 एससीसी 92 : [2014] 2 एससीआर 1 - पर अवलंबन किया गया।

लाभुजी अमरतजी ठाकोर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 2019 एआईआर 734 – संदर्भित।

नजीर संदर्भ

[2014] 2 एससीआर 1 कंडिका 10 पर आधारित

2019 एआईआर 734 कंडिका 11 का संदर्भ देता है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 456 वर्ष 2019 ।

मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 28.08.2018 के निर्णय एवं आदेश से, 2015 की आपराधिक आर.सी. संख्या 346 में।

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण एस. नागामुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. पी. पार्थिवन, ए. एस. वैरावन, आर. सुधाकरन ।

उत्तरदाता के लिए अधिवक्तागण एम. ए. चिन्नासामी, सुश्री सी. रुबावती, सुश्री लीला सर्वेश्वर, एस. पीर मोहम्मद, पी. राजा राम ।

न्यायालय का निर्णय

हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।

1. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा जिला मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी¹ द्वारा दिनांक 27.02.2015 को पारित आदेश को अपास्त कर दिया गया था, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973² की धारा 319 के तहत एक आवेदन खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं को आरोपी के रूप में शामिल करने और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था।

1 दंडाधिकारी

2 संहिता

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 448, 294(बी) और 506 के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी 29.05.2011 को दर्ज की गई थी। यह मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 26.05.2011 को एस. नल्लासामी³ द्वारा दायर एक रिट याचिका में पारित आदेश के अनुसरण में किया गया था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

3. शिकायतकर्ता का विवाह थंगामणि से वर्ष 1998 में हुआ था। आरोप है कि शिकायतकर्ता की पत्नी आमतौर पर अपने पिता के घर में रहती थी और कभी-कभी सानारपल्लयम आती थी। उनकी एक बेटी है जिसका नाम लोगानित्या है। यह भी उल्लेख किया गया है कि उनकी पत्नी ने बंटवारे का मुकदमा दायर किया था, जिसे समझौते के मद्देनजर खारिज कर दिया गया था। जब उनकी पत्नी और बेटी उनके घर आईं, तब भी उनकी पत्नी रोजाना झगड़ा करती रहती थी। बेटी का दाखिला पी.के.पी. स्वामी मैट्रिकुलेशन स्कूल, कलानीपुरम में हुआ था, लेकिन पत्नी ने बेटी को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी और एल्लापयालयम चली गई। उसकी सास, ससुर और साले ने धमकी दी कि उनकी बेटी उसके साथ नहीं रहेगी और भरण-पोषण के लिए 30 लाख रुपये की मांग की, अन्यथा वे उसके और उसकी मां के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करेंगे।

4. 5 मई 2011 को सुबह लगभग 11:00 बजे, जब वह नंजप्पंगौंडनूर स्थित अपने घर में थे, उनके ससुर रामलिंगम, सास लक्ष्मी, साले सेंथिलकुमार, पत्नी थंगामणि और अन्य रिश्तेदार (15 महिलाएं और 35 पुरुष) मारुति वैन पंजीकरण संख्या टीएन-33-ए एस-5695, टाटा एस टीएन-33-एटी-4640 और टाटा 407 टीईई-9996 नामक वाहनों से आए और जबरन उनके घर में घुसकर उन्हें डांटा। उन पुरुषों के पास लोहे की रॉड, चाकू और चीर जैसे हथियार थे। उन्होंने भरण-पोषण के लिए 30 लाख रुपये की मांग की। समूह में से एक व्यक्ति ने उन्हें बात न करने बल्कि जान से मारने के लिए उकसाया। वे लोग हंसिया और लाठियां लेकर उनकी ओर दौड़े। सभी आरोपियों ने घर को ताला लगाने के लिए चिल्लाया और हल्दी के बंडल टेम्पो वैन में भरकर ले गए।

5. इस प्राथमिकी के आधार पर, अनुसंधानकर्ता ने शिकायतकर्ता का बयान 29.05.2011 को दर्ज किया। लेकिन इस अपील में शामिल किसी भी अपीलकर्ता का उल्लेख उक्त बयान में नहीं किया गया था। यहां तक कि जांच के दौरान जुड़े अन्य गवाहों के बयानों में भी, अपीलकर्ताओं के नाम उन व्यक्तियों के रूप में उजागर नहीं किए गए थे जो उस समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने कथित तौर पर शिकायतकर्ता पर हमला किया था और उसके घर में घुसपैठ

की थी। जांच पूरी होने के बाद, संहिता की धारा 173 के तहत 11 आरोपियों के खिलाफ 09.11.2011 को प्रतिवेदन दर्ज की गई।

6. शिकायतकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच के लिए आवेदन दायर किया। आरोपी ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि आगे की जांच का अनुरोध केवल अनुसंधानकर्ता ही कर सकता है, न कि शिकायतकर्ता। यह आवेदन 30.07.2013 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता 26.12.2013 को प्रथम साक्षी के रूप में उपस्थित हुआ और उसने उन अपीलकर्ताओं के नाम बताए जो उसके घर में घुस आए थे और उस पर हमला किया था। अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी 2 लोगनायगी (शिकायतकर्ता की माता), अभियोजन साक्षी 3 मुरुगैयन और अभियोजन साक्षी 4 जगदीसन (शिकायतकर्ता के पड़ोसी) की भी गवाही ली।

7. इसके बाद, संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें आवेदन में नामित 20 आरोपियों को अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब करने की मांग की गई। इस आवेदन का अन्य बातों के अलावा इस आधार पर विरोध किया गया कि मद्रास उच्च न्यायालय में दायर आपराधिक 2012 की ओ.पी. संख्या 1680 में शिकायतकर्ता द्वारा इसी प्रकार की अनुतोष की मांग को 21.02.2012 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने संहिता की धारा 173 (8) के तहत एक याचिका दायर की, जिसे 30.07.2013 को खारिज कर दिया गया। यह भी बताया गया है कि प्रस्तावित आरोपियों के नाम प्राथमिकी में प्रकट नहीं किए गए थे और न ही जांच के दौरान सामने आए। इसी आधार पर माननीय दंडाधिकारी ने 27.02.2015 को एक आदेश पारित किया जिसमें अपीलकर्ताओं को अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब करने से इनकार कर दिया गया।

8. विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि प्रस्तावित आरोपी अलग-अलग गांवों से हैं और लोक अभियोजक ने 20 प्रस्तावित आरोपियों के पिता के नाम और पते कैसे दिए हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"6....शिकायत में ही उन 11 सदस्यों का उल्लेख है जिनके नाम अंतिम आदेश में थे, साथ ही 15 महिलाओं, 35 पुरुषों और 3 वाहनों और दोपहिया वाहनों का भी उल्लेख है। इसी आधार पर धारा 147, 448, 294(ख), 506(2) के तहत अंतिम आदेश प्रस्तुत किया गया है। हल्दी की गठरियों की चोरी के संबंध में कोई शिकायत नहीं है। केवल 11 सदस्यों पर ही अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई है।

याचिकाकर्ता सहित कुल 6 साक्षियों से पूछताछ की गई है। उनके सभी बयानों में केवल उन्हीं 11 सदस्यों के नाम का उल्लेख किया गया है। इसलिए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक, अन्य 20 सदस्यों के संबंध में कोई विवरण या जानकारी नहीं मिली है।

“7.... दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत, जब मामला चल रहा हो और किसी व्यक्ति पर उचित साक्ष्य या साक्षी के साथ आरोप लगाया गया हो, तो न्यायालय उस व्यक्ति को आरोपी सूची में जोड़ने और उसकी गिरफ्तारी एवं पूछताछ का आदेश दे सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़ने के लिए, केवल उसका नाम और विवरण बताना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके द्वारा किए गए अपराध का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। संदेह के आधार पर न्यायालय किसी व्यक्ति को आरोपी सूची में नहीं जोड़ सकता।”

9. उक्त आदेश को शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

“8. मुकदमे की सुनवाई के दौरान, वास्तविक शिकायतकर्ता/अभियोजन साक्षी 1 ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2011 की शिकायत संख्या 123 में नामजद 11 आरोपियों के अलावा, 20 अन्य व्यक्ति भी इस अपराध में शामिल थे और उन्होंने उन सभी 20 व्यक्तियों के नाम स्पष्ट रूप से बताए। अभियोजन साक्षी 2 ने कहा कि 11 नामजद व्यक्तियों के साथ-साथ 20 अन्य व्यक्ति भी घटनास्थल पर आए थे, हालांकि उन्होंने उनके नाम नहीं बताए। अभियोजन साक्षी 3 ने कहा कि आरोपियों के अलावा 5 अन्य व्यक्ति भी घटनास्थल पर आए थे, हालांकि उन्होंने उनके नाम नहीं बताए। अभियोजन साक्षी 4 ने अपराध करने वाले कुछ व्यक्तियों के नाम बताए हैं।

9. गवाह संख्या 1 से 4 के साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि 11 नामजद आरोपियों के अलावा, कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी अपराध किया है और जिला मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी, कोडुमुडी ने साक्ष्य और धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के दायरे पर विचार करने में विफल रहे। अतः, 2011 की सीसी संख्या 123 में वर्तमान आरोपियों के अलावा, 20 अन्य व्यक्ति/प्रस्तावित आरोपी भी इस मामले

में शामिल हैं और इसलिए, उन्हें आरोपी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में, (2017) 4 उच्चतम न्यायालय वाद 177, अमृतभाई शंभूभाई पटेल बनाम सुमनभाई कांतिभाई पटेल और अन्य का निर्णय, जिस पर उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।"

10. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले, **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य**⁴, पर अवलंबन करते हुए यह तर्क देते हैं कि किसी आरोपी को पेश करने के लिए संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने हेतु आवश्यक संतुष्टि का प्रयोग संयमित रूप से और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी अनुमति देती हों। यह शक्ति केवल तभी प्रयोग की जानी चाहिए जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से किसी व्यक्ति के विरुद्ध ठोस और पुख्ता सबूत प्राप्त हों, न कि लापरवाही और मनमाने ढंग से। न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

"105. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत दी गई शक्ति विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयमित रूप से और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी अनुमति देती हों। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दंडाधिकारी या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी हो सकता है। केवल तभी जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से किसी व्यक्ति के विरुद्ध ठोस और पुख्ता सबूत मिलते हैं, तभी इस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि लापरवाही और मनमाने ढंग से।

106. इसलिए, हमारा मानना है कि यद्यपि केवल प्रथम दृष्टया मामला ही स्थापित किया जाना है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से, न कि आवश्यक रूप से प्रति परीक्षा की कसौटी पर परखा जाना है, फिर भी इसके लिए उसकी संलिप्तता की मात्र संभावना से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। लागू किया जाने वाला परीक्षण प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, जैसा कि आरोप तय करते समय किया गया था, लेकिन उस हद तक संतुष्टि से कम है, कि यदि साक्ष्य का खंडन न किया जाए, तो दोषसिद्धि हो सकती है। ऐसी संतुष्टि न होने

की स्थिति में, न्यायालय को धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता में, "यदि साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने, जो आरोपी नहीं है, कोई अपराध किया है" का प्रावधान करने का उद्देश्य "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आरोपी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है" शब्दों से स्पष्ट है। प्रयुक्त शब्द "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है" नहीं हैं। इसलिए, धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्य करने वाले न्यायालय के पास आरोपी के अपराध के संबंध में कोई राय बनाने का कोई अवसर नहीं है।"

11. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के हालिया आदेश का भी हवाला दिया है, जो **लाभुजी अमृतजी ठाकोर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य**⁵ के मामले में दिया गया था। वहां, कुछ गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त आरोपी को तलब करने का आदेश इस कारण से अपास्त कर दिया गया था कि अपीलकर्ताओं द्वारा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध की श्रेणी में आने वाले किसी भी कृत्य का कोई संकेत भी नहीं है। इसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया था:

".....न्यायालय को साक्ष्य के सार पर विचार करना होगा, जो उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया है और जैसा कि संविधान पीठ ने हरदीप सिंह (उपरोक्त) मामले में निर्धारित किया है, उसे इस परीक्षण को लागू करना होगा, अर्थात्, "प्रथम दृष्टया मामले से अधिक, जैसा कि आरोप तय करते समय प्रयोग किया गया था, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि हो जाएगी"...."।

12. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और पाया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है। यह मामला मूलतः वैवाहिक विवाद है, जिसमें पति (जो कि शिकायतकर्ता है) ने पत्नी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर आरोप लगाए हैं। हालांकि प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि 15 महिलाएं और 35 पुरुष वाहनों से आए थे, लेकिन प्राथमिकी में केवल 11 व्यक्तियों के नाम ही बताए गए हैं।

⁵ आपराधिक अपील संख्या 1349 वर्ष 2018, दिनांक 13.11.2018 को निर्णय लिया गया

13. संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों में, जांच के दौरान, शिकायतकर्ता और उसके गवाहों ने प्राथमिकी में नामित 11 व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं बताया है। इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने धारा 319 के तहत आवेदन करते समय कई अन्य व्यक्तियों को शामिल करने के लिए अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की है, जबकि उनके घर में घुसपैठ या शिकायतकर्ता को धमकाने में उनकी भूमिका के बारे में कोई प्राथमिक सबूत नहीं है। कई लोग शिकायतकर्ता के घर नहीं आते थे और बिना कोई चोट पहुंचाए वापस चले जाते थे, क्योंकि वे हथियारों सहित थे, जैसे कि लोहे की रॉड, चाकू और चीर आदि।

14. प्राथमिकी या संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयानों में, अपीलकर्ताओं के नाम या कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है जिससे उनकी पहचान हो सके। प्राथमिकी में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और प्राथमिकी में किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए विवरण न होने के कारण, उनका उपयोग किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए किया जा सकता है। अतिरिक्त आरोपियों के गांवों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 448, 294(ख) और 506 के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए कोई मजबूत या ठोस सबूत नहीं है, जैसा कि **हरदीप सिंह मामले (उपरोक्त)** में दिए गए फैसले के मद्देनजर है। मजबूत और ठोस सबूतों के अभाव में अतिरिक्त आरोपी को संहिता की धारा 319 के तहत लापरवाही और मनमाने ढंग से तलब नहीं किया जा सकता है। संहिता की धारा 319 के तहत अतिरिक्त आरोपी को तभी तलब किया जा सकता है जब प्रथम दृष्टया मामले से अधिक सबूत हों, जैसा कि आरोप तय करते समय आवश्यक होता है, लेकिन जो मुकदमे के निष्कर्ष के समय आवश्यक संतुष्टि से कम हो, जिसमें आरोपी को दोषी ठहराया गया हो।

15. उच्च न्यायालय ने माननीय दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश को केवल शिकायतकर्ता द्वारा जांचे गए कुछ गवाहों के बयानों के आधार पर अपास्त कर दिया है। अपीलकर्ताओं के नाम मात्र प्रकट करना उन्हें संहिता की धारा 319 के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना कराने हेतु ठोस और पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जब शिकायतकर्ता पति है और उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की है और जब उनके नाम या अन्य पहचान पहली बार में प्रकट नहीं की गई थी।

16. परिणामस्वरूप, विद्वान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय का आदेश बहाल किया जाता है तथा संहिता की धारा 319 के तहत दायर आवेदन खारिज किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।

निधि जैन

अपील की अनुमति है ।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।